

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज०)

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी |
|------------|---|--------------------------------|
| 10.5-23 | पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के तहत विहित की गई है। अतः पत्रावली केंप दिनांक 15.5-23 को पेश हो। | |
| 15-5-23 | पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के तहत आज केंप दुगारी में पेश हुई। पत्रावली पूर्वदिशानुसार नियत तिथि 19.7.23 को पेश हो। | |
| 19-7-23 | पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जकारान् उपर ही तहसीलदार नैनवां है प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट में टिप्पणी/प्रश्निका का प्रभाव ही पुनः तहसीलदार नैनवां को टिप्पणी कर प्रश्निका सहित रिपोर्ट प्रिलवने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 19.9.23 को पेश हो। | |
| 19/9/23 | पत्रावली पेश हुई वकील पञ्जकारान् उपर ही तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्रय प्रश्निका प्राप्त हुई ही तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस प्रोपत्र सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरुस्त किये जाने पर सहमति व्यक्त की। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम श्युनापगंज के खसरा सं. 624/15, 611/15 की नक्शे लट्टे में तरमीम नहीं है रखी थी परन्तु | |



(राज0)

नम्बर व तारीख
हकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए


DILRMP योजनान्तर्गत दोनो खसरा
नम्बरकी तरमीम मौजे पर कब्जा
काश्त के अनुसार न करके सहवन
से गलत कर दी गई है। खसरा
सं. 611/15 की तरमीम जिस जगह
की गई थी उस भूमि पर वर्तमान
में खसरा सं. 624/15 वाले खातेदार
का कब्जा है, व जिस जगह खसरा सं.
624/15 की तरमीम की गई है, उस
जगह पर ख.सं. 611/15 वाले
खातेदार का कब्जा है। अतः दोनो
खसरा सं. के तरमीम मौजे पर कब्जा
काश्त (मुताबिक संलग्न नक्शा अनुसार)
अनुसार की जानी उचित होगी।
हमने तहसीलदार नैनवां की
रिपोर्ट, आर्चना पत्र, शपथ-पत्र तथा
उस्तुत रिगर्ड दस्तावेज का अवलोकन
किया। DILRMP योजनान्तर्गत सहवन
से गलत हुई तरमीम को सही किया
जाना उचित प्रतीत होता है अतः
आर्चा का आर्चना पत्र आंशिक स्वीकार
किया जाता है ग्राम रघुनाथगंज
पटवार मण्डल कुगारी तहसील नैनवां
की भूमि खसरा सं. 611/15 रुबा
2.2652 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या
624/15 रुबा 0.3236 हेक्टेयर
भूमियों की तरमीम तहसीलदार
नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार मौजे
पर कब्जा काश्त के अनुसार दुरुस्त
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

५

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---------------|-----------------------------------|

हुकम
प्रदत्त
हुकम
में जारी है

पुरन्तारित नक्शा परिशिष्ट को
 परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है जो
 इस निर्णय का अग्रिन्न अंग होगा,
 के अनुसार तहसील दुरन्त की
 जाने के आदेश दिये जाते हैं
 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया
 गया। पत्रावली बाद तहसील
 दाखिल दफ्तर है।


 उपस्थित अधिकारी
 देवका (क.प.)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

आंशिक नकल नम्बर - १६

ठेका


पत्ता नं.
नं. १०

रघुनाथपुरा

दुगारी

नै. नं. १० बून्दी (राज.)

परिशिष्ट - ३



की उन्नापिन शुद्ध तरकीब

624/15 की उन्नापिन शुद्ध तरकीब



P-35
क्रमांक - 95

रघुनाथ अधिकारी
नै. नं. १० बून्दी

परिवारी
प० म०... दुगारी
न० नै. नं. १० (बून्दी)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांक:- रीडर/20.23 288

दिनांक:- 20/9/23

प्रेषित:-

तहसीलदार
नैनवां।

विषय:- न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु।


वाद/प्रार्थना पत्र संख्या..... 262 / उपपत्र / 2022

बजनवान..... बाबूलाल बनाम समबिलास आदि

निर्णय दिनांक..... 19/9/23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्रथमिक-डिक्री/~~अन्तिम-डिक्री~~/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्न:- उक्तानुसार।


उपखण्ड अधिकारी
नैनवां